न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 31 / 2017

1 मुकेश कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुगनी देवी पुत्री बाबुलाल।
2 मुकेश पुत्र दत्तक बाबुलाल।
3 बालूराम पुत्र मूलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 एस.बी.आई. शाखा औधोगिक क्षेत्र सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस पत्रावली संख्या 16 / 2016 / प्रा.पत्र.212 उनवानी सुगना देवी बनाम मुकेश वगैरह आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ दिनांकित 07.04.2017

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 15.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 16/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 सुगना देवी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 608 रकबा 3.09 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 609 रकबा 0.15 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का मण्ढ़ा मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है, जिसकी खातेदारी पूर्व में प्रार्थीनी के पिता बाबुलाल पुत्र मूलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थीनी के पिता बाबुलाल की मृत्यु वर्ष 1994 में ही हो गई थी तथा उसके बाद प्रार्थीनी की माता सुमित्रा देवी ने ग्राम नायडा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में पुर्नविवाह कर लिया। प्रार्थीया की माता सुमित्रा देवी द्वारा पुर्नविवाह कर लेने के बाद उसका वहां ग्राम गोरधनपुरा में कोई वास्ता नहीं रहा। इसके बाद उसने गलत तरीके से जालसाजी करके एक अवैध गोदनामा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में वर्ष 1997 में करवा कर उप पंजीयक पलसाना के यहां से तस्दीक करवा दिया। जो कि बिल्कुल अवैध व प्रभावहीन है, जबकि उक्त गोद पत्र में गोद लेने व गोद देने वाले के हस्ताक्षर भी नहीं है एंव उक्त सुमित्रा देवी का स्वर्गवास भी हो चुका है। वाद संख्या 116/2008 बउनवानी सुगनादेवी बनाम मुकेश आदि न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 05.04.2016 नियत है। वाद पत्र के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में अवैध, नुमाईशी व शून्य एवं प्रभावहीन विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया व अप्रार्थी संख्या 4 ने भी अवैध विक्रय पत्र के आधार पर साजिश के तहत नामान्तकरण संख्या 778

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 21.09.2015 को स्वीकृत करवाकर अप्रार्थी संख्या 5 से साजिश कर ऋण भी प्राप्त कर लिया, जिस कारण परिवर्तित परिस्थितियों में अप्रार्थीगण के विरूद्व यह अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया गया है, जिसे स्वीकार कर वादग्रस्त कृषि भूमि के सन्दर्भ में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस कानूनी स्थिति की ओर कतई गौर नहीं किया गया कि मूल वाद प्रस्तुति के समय ही एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संख्या 93/2008 उनवानी सुगनी देवी बनाम मुकेश आदि अपीलाधीन आवेदन में वर्णित आधारों पर ही प्रस्तुत किया गया था जो निर्णय दिनांक 27.04.2015 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.04.2015 में पारित निष्कर्ष के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर भी अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की गई है कि विवादित भूमियां जो कि बाबूलाल की सम्पति थी, जिसमें मुकेश के गोद लिये जाने पर उसके हिस्से के सम्बंध में बाद में गुणावगुण के आधार पर ही निर्धारण किया जाना है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में बनते है। कानूनन जब अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा है तथा गोदनामा के आधार पर वह विवादित भूमियों का रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है तो रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु कतई नहीं बनता है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश दिनांकित 07.04.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार विचाराधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 608,609 पूर्व में प्रार्थीनी के पिता बाबूलाल पुत्र मूलाराम की थी, जो स्वअर्जित भूमियां थी। बाबूलाल की मृत्यु 30.09.1994 में हो गई। बाबूलाल के सुमित्रा पत्नी व सुगना पुत्री थी। बाबूलाल की मृत्यु होने पर सुमित्रा ने पुनः विवाह कर लिया जो एडमिटेड है। प्रार्थी के अनुसार 1996 में पुनर्विवाह किया जबकि अप्रार्थीगण के अनुसार 1998 में पुनर्विवाह में किया। सुमित्रा ने 22.07.1997 को अप्रार्थी संख्या 1 मुकेश के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा कराया। बाबूलाल ने मुकेश को गोद नहीं लिया। क्या बाबूलाल की सम्पत्ति में मुकेश का हिस्सा उसकी मृत्यु पर आयेगा। गोदनामा में सुमित्रा की उम्र 25 वर्ष है व मुकेश की जन्मतिथि 10.10. 1990 है, मुकेश को 11.10.1994 को गोद लेना बताया है। गोदनामा में सुमित्रा ने लिखा कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मैने गोद पुत्र बना लिया है। मुकेश मेरा एकमात्र पुत्र है, मेरी मृत्यु के बाद अधिकार प्राप्त हो। गोदनामा के सम्बंध में धारा ।। (।।।) (।) दत्तक महिला पुरूष को गोद लेवे तो उम्र 21 वर्ष का अन्तर हो। सेक्शन 16 लागू नहीं, क्योंकि सैक्शन 6 से 14 तक यदि दत्तक नहीं है तो सैक्शन 5 मे गोद शून्य है। अतः सुमित्रा देवी की मृत्यु पर भी मुकेश को अधिकार प्राप्त नहीं होता। यहां बाबूलाल की मृत्यु पर मुकेश पिक्चर में नहीं था। अतः बाबूलाल की प्रोपर्टी मुकेश को नहीं मिलनी चाहिए। नामान्तकरण संख्या 123 में बाबूलाल का विरासत का नामान्तकरण सुमित्रा व सुगना के नाम पटवारी ने भरा व गिरदावर ने स्वीकार किया। लेकिन पंचायत ने गोदनामा के आधार पर स्वीकार किया जो 135 (2) में शून्य है, क्योंकि विवादित नामान्तकरण का निर्णय तहसीलदार करता। इस नामान्तकरण के खिलाफ ही दावा किया। मेरे टी.आई.प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.04.2015 को निर्णित कर खारिज किया और अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 4 मुकेश को भूमियां विक्रय की, जिसका नामान्तकरण भरा जाकर उसको गिरवी रखकर लोन लिया जिस पर संशोधित दावा व टी.आई. पेश की। सेक्शन 52 टी.पी. एक्ट में वाद पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान विक्रय होने पर उसको शून्य माना है। अप्रार्थी द्वारा और विक्रय किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे कि रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रखे। विचारण न्यायालय पूर्व निर्णय टी.आई.से बाउन्ड नही है। प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागु नहीं। वर वक्त बहस विद्वान अधिवक्ता ने छाया प्रति निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2019 दावा संख्या 70/2008 बउनवानी सुगनी देवी बनाम मुकेश कुमार आदि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश दांतारामगढ़ प्रस्तुत की एवं समर्थन में आर.बी.जे. (22) 2015 पेज 299, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 168, आर.आर. टी. 2015(2) पेज 1445 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी का विचारण न्यायालय में कथन रहा है कि खसरा नम्बर 608,609 पूर्व में प्रार्थीनी के पिता बाबूलाल पुत्र मूलाराम की थी, जो स्वअर्जित भूमियां थी। बाबूलाल की मृत्यु 30.09.1994 में हो गई। बाबूलाल के सुमित्रा पत्नी व सुगना पुत्री थी। बाबूलाल की मृत्यु होने पर सुमित्रा ने पुनः विवाह कर लिया जो एडमिटेड है। प्रार्थी के अनुसार 1996 में पुनर्विवाह किया जबकि अप्रार्थीगण के अनुसार 1998 में पुनर्विवाह में किया। सुमित्रा ने 22.07.1997 को अप्रार्थी संख्या 1 मुकेश के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा कराया। बाबूलाल ने मुकेश को गोद नहीं लिया। क्या बाबूलाल की सम्पत्ति में मुकेश का हिस्सा उसकी मृत्यु पर आयेगा। गोदनामा में सुमित्रा की उम्र 25 वर्ष है व मुकेश की जन्मतिथि 10.10.1990 है, मुकेश को 11.10.1994 को गोद लेना बताया है। गोदनामा में सुमित्रा ने लिखा कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मैने गोद पुत्र बना लिया है। मुकेश मेरा एकमात्र पुत्र है, मेरी मृत्यु के बाद अधिकार प्राप्त हो। गोदनामा के सम्बंध में धारा ।। (।।।) (।) दत्तक महिला पुरूष को गोद लेवे तो उम्र 21 वर्ष का अन्तर हो। सेक्शन 16 लागू नहीं, क्योंकि सैक्शन 6 से 14 तक यदि दत्तक नहीं है तो सैक्शन 5 मों गोद शून्य है। अतः सुमित्रा देवी की मृत्यु पर भी मुकेश को अधिकार प्राप्त नहीं होताा। यहां बाबूलाल की मृत्यु पर मुकेश पिक्चर में नहीं था। अतः बाबूलाल की प्रोपर्टी मुकेश को नहीं मिलनी चाहिए। नामान्तकरण संख्या 123 में बाबूलाल का विरासत का नामान्तकरण सुमित्रा व सुगना के नाम पटवारी ने भरा व गिरदावर ने स्वीकार किया। लेकिन पंचायत ने गोदनामा के आधार पर स्वीकार किया जो 135 (2) में शून्य है, क्योंकि विवादित नामान्तकरण का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय तहसीलदार करता। इस नामान्तकरण के खिलाफ ही दावा किया। मेरे टी.आई.प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.04.2015 को निर्णित कर खारिज किया और अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 4 मुकेश को भूमियां विक्रय की, जिसका नामान्तकरण भरा जाकर उसको गिरवी रखकर लोन लिया जिस पर संशोधित दावा व टी.आई. पेश की। सेक्शन 52 टी.पी.एक्ट में वाद पत्र विचाराधीन रहने के दौरान विक्रय होने पर उसको शून्य माना है। अप्रार्थी द्वारा और विक्रय किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे कि रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। विचारण न्यायालय पूर्व निर्णय टी. आई.से बाउन्ड नही है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का प्रति कथन रहा है कि अपीलांट गोद पुत्र है उसके सम्बंध में गुणावगुण पर निर्णय होना है। इस सन्दर्भ में हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति निर्णय व डिक्री दिनांक 12. 09.2019 दावा संख्या 70/2008 बउनवानी सुगनी देवी बनाम मुकेश कुमार आदि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश दांतारामगढ़ का अवलोकन किया इसके अनुसार अपीलांट के पक्ष में निष्पादित गोदनामा दिनांक 22.07.1997 को शून्य व प्रभावहीन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर